भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4183 का उत्तर

रेल में खिलाड़ियों/वरिष्ठ नागरिकों/पत्रकारों के लिए रियायत

4183. श्री अनिल यशवंत देसाई:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री जगदीश शट्टर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल यात्रा के दौरान खिलाड़ियों और वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध वर्तमान रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे द्वारा प्रदत्त रियायतों को बंद करने का खिलाड़ियों विशेषकर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खिलाड़ियों/संसद सदस्यों/वरिष्ठ नागरिकों/नागरिक संगठनों की ओर से उक्त रियायत को पुनः शुरू करने/बहाल करने के लिए कोई अभ्यावेदन/सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों, पत्रकारों और अन्य श्रेणियों के लिए उक्त रियायत को पूर्ण या आंशिक रूप से पुनः शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, इसकी समय-सीमा और किए जा रहे उपाय क्या हैं; और

(च) रेलवे की स्वच्छता और सुरक्षा में सुधार करने के लिए गैर-एसी डिब्बों में मशीनीकृत सफाई और एआई-आधारित निगरानी के कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): भारतीय रेल समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएँ उपलब्ध करवाने का प्रयास करती है तथा 2024-25 में यात्री टिकटों पर 60,239 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी। यह राशि रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 43% रियायत के बराबर है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपए है, तो टिकट का मूल्य केवल 57 रुपए है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों को दी जा रही है। इस सब्सिडी के अलावा, दिव्यांगजनों की 4 कोटियों, रोगियों की 11 कोटियों और विद्यार्थियों की 8 कोटियों जैसी कई कोटियों के लिए इस सब्सिडी राशि के अतिरिक्त भी रियायतें दी जा रही हैं।

देश भर में विभिन्न सुविधाओं/कार्यों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों प्रकार के प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन राज्य सरकारों, माननीय संसद सदस्यों, केन्द्रीय मंत्रालयों निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं के लिए, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि से रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे और मंडल कार्यालयों आदि सहित विभिन्न स्तरों पर प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्तावों/शिकायतों/सुझावों की प्राप्ति एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, अतः ऐसे अनुरोधों का कोई केन्द्रीकृत संग्रह नहीं रखा जाता है। बहरहाल, इनकी जाँच की जाती है और समय-समय पर व्यवहार्य और उचित पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

भारतीय रेल में स्वच्छता बनाए रखना एक सतत प्रक्रिया है और रेलगाड़ियों का उचित रूप से रखरखाव और साफ-सफाई रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते हैं। चलती रेलगाड़ियों में स्वच्छता और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख कदम उठाए गए हैं, जो कि निम्नानुसार हैं:-

- **प्राथमिक अनुरक्षण के दौरान सवारी डिब्बों, जिसमें अन्तः भाग, बाह्य भाग और शौचालय शामिल हैं, की बेहतर सफाई के लिए सवारी डिब्बों की यंत्रीकृत सफाई सुनिश्चित की जा रही है।**
- **रेलगाड़ियों के परिचालन के दौरान सवारी डिब्बों के शौचालयों, दरवाजों, रास्तों और यात्री कंपार्टमेंट की सफाई के लिए चिह्नित मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग कर्मी सेवा मुहैया कराई जाती है।**
- **चुनिंदा गाड़ियों में उनके निर्धारित मार्गवर्ती ठहराव के दौरान यंत्रीकृत सफाई के लिए क्लीन ट्रेन स्टेशन सेवा शुरू की गई है। उच्च दबाव वाली जेट मशीनों और सफाई उपकरण से सुसज्जित समर्पित कर्मी दलों द्वारा सवारी डिब्बों के शौचालयों की सफाई की जाती है।**

- **रेल मदद और सवारी डिब्बा रखरखाव प्रबंधन (सीएमएम) पोर्टल सहित डिजिटल निगरानी प्रणालियों का उपयोग शिकायतों की निगरानी और स्वच्छता से संबंधित मुद्दों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।**
- **डस्टबिन उपलब्ध कराना।**
- **सवारी डिब्बों में जैव-शौचालयों का संस्थापन।**

भारतीय रेल ने यात्रियों की संरक्षा व सुरक्षा में बेहतर बनाने के उद्देश्य से सवारी डिब्बों और रेल इंजनों में सीसीटीवी कैमरे संस्थापित करने का कार्य शुरू किया है। सीसीटीवी कैमरों का प्रावधान से बदमाशी, तोड़फोड़, चोरी की घटनाओं में कमी आने, अपराध पर अंकुश लगाने और जाँच में सहायता मिलने की प्रत्याशा है। तदनुसार, क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों ने सवारी डिब्बों और रेलइंजनों में सीसीटीवी कैमरों की खरीद और स्थापन के लिए कार्रवाई शुरू की है।

वर्तमान में, लगभग 12,300 सवारी-डिब्बे (सभी परिचालित वंदे भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियों के रैक सहित) और 460 रेलइंजनों, जो भारतीय रेल के नेटवर्क पर चल रही हैं, सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित हैं।
